

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 23/2024 (गुण्डा एक्ट)

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन चेचट जिला कोटा  
ग्रामीण (राज0)

बनाम

सत्येन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रमेशचन्द जाति तेली उम्र 40 साल निवासी शीतला  
माता चौक, चेचट थाना चेचट जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)

राजस्थान गुण्डा

नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 22.11.2024



थानाधिकारी पुलिस स्टेशन चेचट जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल सत्येन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रमेशचन्द जाति तेली उम्र 40 साल निवासी शीतला माता चौक, चेचट थाना चेचट जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	40/14.2.2024	13 आरपीजीओ	31/28-02-2024	100 रु जुर्माना 19.4.2024
2.	103/15.4.2024	13 आरपीजीओ	87/30-4-2024	100 रु जुर्माना 24.5.2024

अतः गैरसायल सत्येन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रमेशचन्द जाति तेली उम्र 40 साल निवासी शीतला माता चौक, चेचट थाना चेचट जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

गैरसायल सत्येन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रमेशचन्द जाति तेली उम्र 40 साल निवासी शीतला माता चौक, चेचट थाना चेचट जिला कोटा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई।

उक्त गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। बाद तामील नोटिस उपस्थित उक्त गैरसायल द्वारा आज स्वयं स्वैच्छिक रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त इस्तगासा कार्यवाही में अंकित अभियोग की सूची से सहमत है। प्रार्थी वर्तमान में शान्ति पूर्वक अपना मजदूरी/व्यवसाय कर अपने एवं परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही से अदालत में बार-बार हाजिर होने के कारण अपने मजदूरी/व्यवसाय करने में आर्थिक हानि हो रही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन गुण्डा एक्ट की कार्यवाही निर्णित कर समाप्त करने की कृपा करें।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

प्रकरण में उपस्थित गैरसायल स्वयं द्वारा इस्तगासा में वर्णित 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग को स्वेच्छिक रूप से स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रकरण इस्तगासा में वर्णित अभियोग उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार किया है। इस्तगासा में वर्णित उक्त 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार सत्येन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रमेशचन्द जाति तेली उम्र 40 साल निवासी शीतला माता चौक, चेचट थाना चेचट जिला कोटा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 14 दिन के लिए थाना चेचट जिला कोटा की सीमा से जिला झालावाड़ के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 14 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 13.12.2024 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना चेचट जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल सत्येन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रमेशचन्द जाति तेली उम्र 40 साल निवासी शीतला माता चौक, चेचट थाना चेचट जिला कोटा को दिनांक 13.12.2024 को पुलिस अभिरक्षा में थाना चेचट जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी चेचट जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र चेचट जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

  
(अकेश कुमार चौधरी)  
आतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा, जिला कोटा

